न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)

प्रकरण संख्या : 70/17

1. सूरज सिंह पुत्र माधो सिंह, जाति राजपूत
2. मोहन सिंह पुत्र माधो सिंह, जाति राजपूत

निवासीगण ग्राम अभयपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा हाल निवासी के.आर.–231, एच. पी.ओ. के पीछे, सिविल लाईन्स, नयापुरा, कोटा (वादीगण)

बनाम

1. भोजराज पुत्र छोटूलाल, जाति गुर्जर, निवासी अभयपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. नेवलाल पुत्र गोमदा, जाति गुर्जर, निवासी अभयपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
3. दलपत सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह, जाति राजपूत, निवासी अभयपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
4. महावीर पुत्र तेजमल, जाति माली, निवासी अभयपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
5. रामावतार, रामविलास पुत्रान, जगन्नाथ, जाति धाकड, निवासी मकान नम्बर 1017, शिवपुरा, कोटा
6. भीमराज पुत्र पन्नालाल, जाति लश्करी, निवासी अभयपुर की झोपडिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.ए.

दिनांक : 30.11.2018

निर्णय

1. यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

वादीगण द्वारा अपना वाद पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम अभयपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में खसरा नम्बर 334/520 रकबा 0.26 हैक्टर, खसरा नम्बर 340 रकबा 0.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 453 रकबा 0.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 582/518 रकबा 0.16 हैक्टर आराजी का वादीगण खातेदार कृषक है। प्रतिवादी नं. 1 लगायत 6 ने वादीगण के खाते की आराजी पर अवैध कब्जा कर रखा है। अतः माननीय न्यायालय से वादीगण की प्रार्थना है कि तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा को उक्त वर्णित कृषि आराजी पर से प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा हटवाने व वादीगण को कब्जा संभलाकर पत्थरगढी व खाई करवाने का आदेश प्रदान करें। प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि वादी द्वारा पेश किया गया वाद पूर्णतया अस्वीकार है। इसके साथ विशेष कथन अंकित करते हुये निवेदन किया गया कि वादी को उक्त आराजी जिला कलक्टर द्वारा आवंटित की गयी थी, जिसे बेचान करने का अधिकार नहीं था, परन्तु फिर भी वादी द्वारा आवंटन पत्र की शर्तो का उल्लंघन करते हुये उक्त खसरा नम्बरान की कृषि आराजी में से कुछ आराजी अन्य व्यक्तियों को बेचान कर दी गयी है जिससे वादी का आवंटन पत्र निरस्त किया जाकर खातेदारी अधिकार समाप्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। साथ ही कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 04.05.2016 को कार्यालय तहसीलदार,

ACEM (P.), Kota

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

लाडपुरा, कोटा के आदेश क्रमांक सर्तकता 116/361–65 दिनांक 27.04.2016 की पालना में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल एवं सर्तकता में वादीगण के द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर पटवारी ग्राम जाखोडा के द्वारा मौके की स्थिति की रिपोर्ट तैयार की गयी जिसके आधार पर खसरा नम्बर 340 का रकबा 1.33 हैक्टर है, जिसमें खाल निकलता है। तथा उत्तर में प्रतिवादीगण का कब्जा बताया गया है। जिस जगह प्रतिवादीगण का कब्जा बताया है, उस कृषि भूमि से वादीगण का किसी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है और न ही वह उक्त कृषि आराजी के दर्ज खातेदार है। जहां पर प्रतिवादीगण का कब्जा बताया गया है, वह सरकारी भूमि है, जिस पर काफी वर्षो पूर्व से ही प्रतिवादीगण के पूर्वजों का कब्जा चला आ रहा है। और अन्तर्गत धारा 91 टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रतिवादीगण को नियमित रूप से नोटिस प्राप्त होते है जिसका ताइवान भी प्रतिवादीगण नियमित रूप से तहसील कार्यालय लाडपुरा कोटा में जमा करवाते चल आ रहे है। शेष भूमि खसरा नम्बर 334/520 रकबा 0.26 हैक्टर मुकाम फाल पर स्वयं खातेदार का कब्जा मौका रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है, खसरा नम्बर 453 का रकबा 0.53 हैक्टर किस्म नहरी द्वितीय की भी मौके पर पैमाइस की गयी, उक्त कृषि आराजी पर भी प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई कब्जा मौके पर नहीं पाया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण की किसी भी आराजी पर कोई अतिक्रमण अथवा अवैध कब्जा नहीं कर रखा है। वादीगण द्वारा मात्र प्रतिवादीगण को परेशान करने एवं आर्थिक नुकसान पहूँचाने की नीयत से उक्त वाद पेश किया गया है जो सव्यय खारिज होने योग्य है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा पेश किया गया दावा सव्यय निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

3. वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में वाद पत्र के साथ निम्न दस्तावेज पेश किये है –
   (i) पटवारी हल्का द्वारा आराजी खसरा नम्बर 340, 334/520 एवं 453 के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, कोटा को पेश की गई पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 07.03.2017 की फोटोप्रति, जो प्रमाणित नहीं है।
   (ii) विवादित खसरा नम्बरान का नक्शा दिनांक 19.09.2017।
   (iii) पटवारी हल्का द्वारा आराजी खसरा नम्बर 340, 334/520 एवं 453 की पत्थरगढी हेतु की गई पैमाईस के सम्बन्ध में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल व सर्तकता को प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 04.05.2016 की फोटोप्रति, जो प्रमाणित नहीं है।
   (iv) खसरा नम्बर 340 व 334/520 पर आंशिक अतिक्रमण के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, कोटा को प्रेषित रिपोर्ट की प्रति।

4. उपरोक्तानुसार पेश किये गये दावा, जवाब दावा तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–
   (क) आया ग्राम अभयपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 334/520, 340, 453, 582/518 का रिकोर्डेड खातेदार है।
   (ख) आया प्रतिवादी नं. 1 लगायत 6 ने वादीगण के खाते की आराजी पर अवैध कब्जा कर रखा है।
   (ग) आया वादी ने जहॉ पर प्रतिवादीगण का कब्जा बताया है, वह सरकारी भूमि है, जिस पर काफी वर्ष से हीप्रतिवादीगण के पूर्वजों का कब्जा चला आ रहा है।
   (घ) आया प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की किसी भी आराजी पर कोई अतिक्रमण अथवा अवैध कब्जा नहीं कर रखा है।
   (ड) आया प्रतिवादी क्रम 6 स्वयं की आराजी खसरा नम्बर 518 पर स्वयं काबिज काश्त है।

ACEM (HQ), Kota

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(मुख्यालय), कोटा

Scanned by CamScanner

5. दौराने बहस अन्तिम प्रतिवादी के अभिभाषक के अनुपस्थित रहने के कारण वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों के अवलोकन अध्ययन उपरान्त, प्रकरण में कायम की गई तनकीयात निम्नानुसार तय की जाती है –

(क) *आया ग्राम अभयपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 334/520, 340, 453, 582/518 का रिकोर्डेड खातेदार है।*

वादीगण द्वारा अपने वाद में उक्त खसरा नम्बरान की नकल जमाबन्दियां संवत 2073–2076 पेश की गई है। जिसके अनुसार ग्राम अभयपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के खसरा नम्बर 334/520, 340, 453, 582/518 वादीगण के खाते दर्ज है। प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 की ओर से पेश किये गये जवाब दावा में इस पर कोई आपत्ति नहीं की गई है। इस प्रकार वादीगण, उपरोक्त खसरा नम्बरान की आराजी के रिकोर्डेड खातेदार है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

(ख) *आया प्रतिवादी नं. 1 लगायत 6 ने वादीगण के खाते की आराजी पर अवैध कब्जा कर रखा है।*

ग्राम अभयपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के वादीगण के नाम दर्ज आराजी के विवादित खसरा नम्बर 334/520, 340 के सम्बन्ध में पटवारी द्वारा पेश रिपोर्ट दिनांक 19.09.2017 में भोजराज, नेवलाल, दलपत, महावीर का वादीगण की आराजी खसरा नम्बर 340 व 334/520 पर आंशिक रूप से अतिक्रमी कहा गया है। इस प्रकार पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रतिवादीगण का कब्जा बताया गया है। चूंकि वादीगण, विवादित आराजी के रिकोर्डेड खातेदार है, जिनमें से खसरा नम्बर 340 व 334/520 पर प्रतिवादीगण का अतिक्रमण होना, पटवारी रिपोर्ट से प्रमाणित है। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

(ग) *आया वादी ने जहॉ पर प्रतिवादीगण का कब्जा बताया है, वह सरकारी भूमि है, जिस पर काफी वर्ष से ही प्रतिवादीगण के पूर्वजों का कब्जा चला आ रहा है।*

प्रतिवादीगण द्वारा पेश किये गये जवाब दावा के विशेष कथनों में अंकित करते हुये स्वयं स्वीकार किया है कि उनका सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है। इस कथन के प्रमाण में प्रतिवादीगण की ओर से कोई खसरा गिरदावरी पेश नहीं की गई है। जिस खसरा नम्बर पर उनका अतिक्रमण है उसके नोटिस आदि की भी कोई प्रतिपेश नहीं की गई है। इस प्रकार प्रतिवादीगण पूर्वजों के समय से ही सरकारी भूमि पर कब्जा होने के कथन को प्रमाणित नहीं कर पाये है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

(घ) *आया प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की किसी भी आराजी पर कोई अतिक्रमण अथवा अवैध कब्जा नहीं कर रखा है।*

पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई रिपोर्ट दिनांक 19.09.2017 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 340 व 334/520 पर प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 का आंशिक अतिक्रमी होना अंकित किया गया है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण की ओर से, वादीगण की आराजी पर कब्जा नहीं होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

(ड) *आया प्रतिवादी क्रम 6 स्वयं की आराजी खसरा नम्बर 518 पर स्वयं काबिज काश्त है।*

प्रस्तुत प्रकरण की विवादित आराजी में खसरा नम्बर 518 कहीं उल्लेखित नहीं है। रिपोर्ट पटवारी हल्का में भी उक्त खसरा नम्बर 518 का उल्लेख नहीं किया गया है।

ACEM (P.), Kota

Scanned by CamScanner

6. उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादीगण विवादित खसरा नम्बरान 334/520, 340, 453, 582/518 के रिकोर्डेड खातेदार है तथा पटवारी रिपोर्ट दिनांक 19.09.2017 से वादीगण की आराजी खसरा नम्बर 340 व 334/520 पर प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 का आंशिक रूप से अवैध कब्जा होना प्रमाणित है। अतः वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम अभयपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के विवादित खसरा नम्बर 334/520 व 340 की पैमाईस की जाकर आराजी वादीगण को संभलाई जावे तथा उक्त आराजी के किसी भी भाग पर वादीगण के अतिरिक्त अन्य किसी का अवैध कब्जा पाये जाने पर उन्हें बेदखल कर वादीगण को कब्जा संभलाया जावे। वादीगण की आराजी की पैमाईस उपरान्त पत्थरगढी व खाई करवाने के भी आदेश प्रदान किये जाते है। उक्त पत्थरगढी व खाई करवाने के व्यय का नियमानुसार भुगतान वादीगण द्वारा किया जायेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

7. श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटा द्वारा आदेश क्रमांक रीडर/डीएम/2018/970 दिनांक 22.10.2018 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30 नवम्बर, 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा (राज.)

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

<u>न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा</u>

<u>पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र कुमार, I.A.S. (P)</u>

<u>बउनवान :–</u>

1. सूरज सिंह पुत्र माधो सिंह, जाति राजपूत
2. मोहन सिंह पुत्र माधो सिंह, जाति राजपूत

निवासीगण ग्राम अभयपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा हाल निवासी के.आर.–231, एच.पी.ओ. के पीछे, सिविल लाईन्स, नयापुरा, कोटा (वादीगण)

बनाम

1. भोजराज पुत्र छोटूलाल, जाति गुर्जर, निवासी अभयपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. नेवलाल पुत्र गोमदा, जाति गुर्जर, निवासी अभयपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
3. दलपत सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह, जाति राजपूत, निवासी अभयपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
4. महावीर पुत्र तेजमल, जाति माली, निवासी अभयपुर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
5. रामावतार, रामविलास पुत्रान जगन्नाथ, जाति धाकड, निवासी मकान नम्बर 1017, शिवपुरा, कोटा
6. भीमराज पुत्र पन्नालाल, जाति लश्करी, निवासी अभयपुर की झोपडिया, तहसील लाडपुरा, कोटा
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 183 RTA
मुकदमा नम्बर : 70 / 17
निर्णय दिनांक : 30-11-2018

न्यायालय हाजा में वादीगण की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख <u>30–11–2018</u> को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी <u>श्री देवेन्द्र कुमार, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)</u> के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि पटवारी रिपोर्ट दिनांक 19.09.2017 से वादीगण की आराजी खसरा नम्बर 340 व 334 / 520 पर प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 का आंशिक रूप से अवैध कब्जा होना प्रमाणित है। अतः वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम अभयपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के विवादित खसरा नम्बर 334 / 520 व 340 की पैमाईस की जावे तथा उक्त आराजी के किसी भी भाग पर वादीगण के अतिरिक्त अन्य किसी का अवैध कब्जा पाये जाने पर उन्हें बेदखल कर वादीगण को कब्जा संभलाया जावे। वादीगण की आराजी की पैमाईस उपरान्त पत्थरगढी व खाई करवाने के भी आदेश प्रदान किये जाते है। उक्त पत्थरगढी व खाई करवाने के व्यय का नियमानुसार भुगतान वादीगण द्वारा किया जायेगा। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 30.11.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(देवेन्द्र कुमार)
आई.ए.एस. (प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्र.), कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

वाद के खर्चे

Scanned by CamScanner